न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—72 / 2020 (2020 / 00225) वादपत्र

अनवान

1. मांगीलाल आत्मज देवीलाल जाट निवासी सिहंपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नि गोपी जाट निवासी सिंहपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालु आत्मज भुरा जाट निवासी सिंहपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नाराण आत्मज भुरा जाट निवासी सिंहपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. आईआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता वादी
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 09.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 14.09.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 820 / 411 रकबा 0.13 है0 भूमि वादी का 4 / 30 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 11 / 30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1 / 6 हिस्से व कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 29.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 820 / 411 / 1 रकबा 0.1130 है0 भूमि नारायण पुत्र भुरा 1 / 5 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल, बालु पुत्र भुरा 2 / 5 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल, मोहनी पत्नि गोपी 2 / 5 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 820 / 411 / 2 रकबा 0.0170 है0, भूमि मांगीला[illegible]लाल जाट सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो [illegible] अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09[illegible] को मेरे द्वा[illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल [illegible])
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–72/2020 (2020/00225) वादपत्र

अनवान

1. मांगीलाल आत्मज देवीलाल जाट निवासी सिहंपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नि गोपी जाट निवासी सिंहपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालु आत्मज भुरा जाट निवासी सिंहपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नाराण आत्मज भुरा जाट निवासी सिंहपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. आईआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 820/411/1 रकबा 0.1130 है0 भूमि नारायण पुत्र भुरा 1/5 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल, बालु पुत्र भुरा 2/5 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल, मोहनी पत्नि गोपी 2/5 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 820/411/2 रकबा 0.0170 है0. भूमि मांगीलाल पुत्र देवीलाल जाट सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 09.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

9-11-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:48 IST
Reason: SelfAttested